रेस्पो0 संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलाधीन भूमि वक्त सेटलमेंट से खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1204 जो कि विरासत का म्युटेशन था उस पर सरपंच ग्राम पंचायत मालावास ने गलत टिप्पणी करते हुए उक्त म्युटेशन को खारीज करने पर मेरे द्वारा उक्त म्युटेशन की अपील उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर के समक्ष पेश करने पर मेरी अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार पीपाडशहर को रिमाण्ड किया गया तथा तहसीलदार ने रिमाण्ड आदेश की पालना करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकर्ड का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय मे स्पष्ट उल्लेख किया है कि खसरा नंबर 362 की विवादित भूमि वक्त सेटलमेंट से खातेदारी मे दर्ज है तथा डोली की भूमि के संबंध मे तहसील के भू0अ0 शाखा मे उपलब्ध रेकर्ड जिसमे डोली बनाम मंदिर की भूमियो के अंकन का रजिस्टर संधारित है जिसमे ग्राम मालावास के खसरा नंबर 362 की भूमि डोली की भूमि नही होने पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण ने अपीलाधीन भूमि के खातेदारी की घोषणा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमे पारित होने वाले निर्णय से ही अधिकारो का विनिश्चयन होना है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

रेस्पो0 संख्या 8 ग्राम पंचायत की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा ही अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1204 पर नोट अंकित करते हुए खारीज किया था परंतु तहसीलदार पीपाडशहर ने ग्राम पंचायत के नोटिस तामिल कराये बिना तथा सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 8 ने कथन किया कि अपीलाधीन ग्राम पंचायत ने कब्जे के अभाव का भी नोट लगाते हुए अपीलाधीन म्युटेशन खारीज किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपाडशहर ने कब्जे बाबत कोई जांच नही करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन खारीज किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 संख्या 8 ने अपनी बहस के समर्थन मे सी.डी.आर. 2015 (3) राजस्थान पेज 1289 की निर्णय नजीर पेश की ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपाडशहर की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, उपखण्ड अधिकारी

पीपाडशहर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–11–2013 तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपाडशहर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–5–2017 आदि का भी अध्ययन किया ।

अपीलाधीन नामांतरकरण सख्या 1204 मे वर्णित खसरा नंबर 362 रकबा 9.11 बीघा किस्म बारानी तृतीय भूमि किरताराम पि0 चौथाराम जाति कुम्हार सा0 मादलिया के खातेदारी मे दर्ज थी । उक्त खातेदार किरताराम के फोत होने पर अपीलाधीन भूमि का विरासत का नामांतरकरण संख्या 1204 उसके वारिसान के नाम पटवारी हल्का ने भरकर पेश किया जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत ने यह नोट अंकित किया कि " ग्राम मालावास का खसरा नंबर 362 रकबा 9.11 बीघा डोली बनाम मंदिर श्री हनुमानजी वाके देह के अलावा किसी अन्य व्यक्तियो का हक नही है । अतः नामांतरकरण संख्या 1204 (विरासत) को सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया जाता है । मौके पर भीरमराम वगैरा का कब्जा नही है ।" सरपंच ग्राम पंचायत मालावास द्वारा म्युटेशन संख्या 1204 पर पारित उक्त अस्वीकृति आदेश के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने उपखण्ड अधिकारी पीपाडशंहर के समक्ष धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील पेश की, जिस पर उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर ने अपने निर्णय दिनांक 22–11–2013 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार पीपाडशहर को नये सिरे से नियमानुसार विधिवत सुनवाई का अवसर देकर, यदि इस संबंध मे कोई रेफरेंस किया हो एवं समय–समय पर राज्य सरकार के डोली मंदिर की भूमि के संबंध मे जारी निर्देशो की पालना करते हुए कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया । जिसके अनुसरण मे तहसीलदार पीपाडशहर ने प्रकरण दर्ज कर बाद जांच व पक्षकारो की सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–5–2017 पारित किया है, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील पेश की गई है ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपाडशहर की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन आदेश का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि तहसीलदार पीपाडशहर ने अपीलाधीन आदेश मे खतौनी बंदोबस्त संवत 2011 से 2030 तक के खाता संख्या 168 के कॉलम संख्या 4 अनुसार किरताराम पिता चौथाराम जाति कुम्हार निवासी मादलिया के वारिसान की जांच कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश पारित कर दिया जबकि खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 के कॉलम संख्या 3 भोक्ता के नाम के कॉलम मे उक्त भूमि डोली बनाम मंदिर शरह सदर का भी उल्लेख किया हुआ है । ऐसे मे अपीलाधीन भूमि के संबंध मे विस्तृत जांच करवाई जानी चाहिये थी कि अपीलाधीन खसरा नंबर 362 की भूमि कब से किसके आदेश से खातेदारी मे दर्ज हुई ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपाडशहर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–5–2017 निरस्त कर प्रकरण पुनः तहसीलदार

पीपाडशहर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे राजस्व रेकर्ड की गहनता से जांच करके यह सुनिश्चित करे कि अपीलाधीन भूमि कभी डोली की भूमि रही थी या नही तथा यह भी जानकारी करे कि खतौनी बंदोबस्त संवत 2011 से 2030 मे अपीलाधीन खसरा नंबर 362 की भूमि का खातेदारी मे इन्द्राज किस आधार किया गया । उपरोक्त बिन्दुओ की विस्तृत जांच करते हुए डोली भूमियो के संबंध मे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रो, दिशा–निर्देशो के परिपेक्ष्य मे पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 10–5–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर